मधु गर्ग

बनाम

भारत संघ और अन्य

21 सितम्बर 2004

[एन. संतोष हेगड़े और एसबी सिन्हा, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974-धारा 3 (1)-के तहत निर्यात खेप की गलत घोषणा और माल के अधिक चालान के आधार पर हिरासत में रखना- माल रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट द्वारा गलत घोषणा साबित नहीं हुई। हिरासत को बरकरार रखा गया। उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम आधार पर हिरासत पर्याप्त सामग्री के बिना था। नजरबंदी का पूरा आदेश कानून में दोषपूर्ण है क्योंकि आधारों में से एक अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया गया था।

अपीलकर्ता (हिरासत) के पति, उसके भाई और उनके प्रबंधक को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत इस आधार पर हिरासत में लिया गया था कि (1) निर्यात खेप को मिश्र धातु बताते हुए गलत स्टील फोर्जिंग (मशीनीकृत) घोषित किया गया था। हालांकि वास्तव में वही धातु स्क्रैप था और (2) माल का अधिक चालान किया गया था। आरोप आत्म-दोषारोपण संबंधी बयानों पर आधारित थे। हालाँकि, बाद में इसे वापस ले लिया गया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने बंदी और उसके भाई की हिरासत के आदेश को मंजूरी दे दी, लेकिन उनके प्रबंधक की नजरबंदी को मंजूरी नहीं दी गई। हिरासत आदेश के खिलाफ रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। हिरासत में लिए गए लोगों को कारण बताओ

नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सीआरसीएल द्वारा रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट से पता चला है कि कथित नमूने मिश्र धातु इस्पात से बने थे।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस में दिए गए कथनों के मद्देनजर हिरासत आदेश टिकाऊ नहीं था कि माल मिश्र धातु इस्पात से बना था।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. कारण बताओ नोटिस में दिए गए कथनों के अवलोकन से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि सामग्रियों के रासायनिक विश्लेषण पर, यह पाया गया कि नमूने मिश्र धातु इस्पात से बने थे। इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि कथित माल जो हैं निर्यात की विषय-वस्तु को बंदी की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और सीआरसीएल के समक्ष रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। इसलिए, खेप का विषय स्क्रैप धातु नहीं था। यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत का आदेश जारी करने से पहले उक्त रासायनिक विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा की होती, तो उसमें बताए गए पहले आधार को आधार नहीं बनाया जा सकता था। हिरासत का आदेश बिना पर्याप्त सामग्री के जल्दबाजी में पारित किया गया। [586-बीडी]

2. भले ही माल का अधिक चालान करना न्यायिक कार्यवाही का विषय है, लेकिन जब हिरासत के आधारों में से एक अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया जाता है जो हिरासत के आदेश को पारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है,तो हिरासत का पूरा आदेश कानून अमान्य होगा। [586-ई]।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की आपराधिक अपील संख्या 821

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2003 की सीआरएल WP क्रमांक 1397 में निर्णय और आदेश दिनांक 6.4.2004 से

साथ

2004 में सी.आर.एल. नं. 822

अपीलार्थियों की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम, विक्रम चौधरी, राकेश दहिया, सुश्री मधुष्मिता बोरा, निखिलजैन, महाबीर सिंह और सी. डी. सिंह उपस्थित।

प्रत्यर्थीगण की ओर से टीएस दो आबिया, मनीषशर्मा, अरुण के. सिन्हा और राकेश सिंह, मनोज सक्सेना, एस के मित्रा और सुश्री नरेश बख्शी उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा द्वारा सुनाया गया:

ये अपीलें आपराधिक रिट याचिका संख्या 1397 और 1432, 2003 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.04.2004 के निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न हुईं। कानून और तथ्य के प्रश्नों को एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जार हा है। हालाँकि, मामले की तथ्यात्मक स्थिति 2004 की आपराधिक अपील संख्या 821 के आधार पर नोटिस किया जा रहा है।

अपीलकर्ता बंदी विनोद कुमार गर्ग की पत्नी है, जिसे भारत सरकार के राजस्व मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव द्वारा 20 अक्टूबर, 2003 को पारित एक आदेश द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 धारा 3 (1) के तहत हिरासत में लिया गया था, (संक्षेप में 'COFEPOSA अधिनियम')।

हिरासत के आधार से संकेत मिलता है कि हिरासत का उक्त आदेश मुख्य रूप से दो आरोपों पर पारित किया गया था, जैसे:

(ए) निर्यात खेप को मिश्र धातु इस्पात फोर्जिंग (मशीनीकृत) बताते हुए गलत घोषित किया गया था, हालांकि वास्तव में वह धातु स्क्रैप था;

(बी) निर्यातक द्वारा माल का चालान अधिक घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसका वास्तविक मूल्य केवल रु. 4-5 प्रति किलो है और वास्तविक मूल्य के स्थान पर 170-175 प्रति किलोग्राम बताया गया था।

हिरासत के उक्त आधार के समर्थन में आरोप मुख्य रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के संदर्भ में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए हिरासत के स्व-दोषी बयान पर आधारित थे। हालाँकि, उक्त बयान बंदी द्वारा 26 अगस्त, 2003 को या उसके आसपास विद्वान एसीएमएम के समक्ष वापस ले लिए गए थे।

विद्वान एसीएमएम ने अपने आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2003 यह निर्देशित किया गया था कि बंदी ने अनजाने में अपना बयान दिया था और उसे प्रताड़ित भी किया गया था।

“आरोपी के अनुरोध पर अनुसंधान अधिकारी श्री मुकेश गौड़ को निर्देश दिया गया है कि वह आरोपी व्यक्ति को एसटीडी/टेलीफोन पर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दें। आरोपियों ने यह भी कहा है कि इस समय उनके वकील मौजूद नहीं हैं, इसलिए उन्हें सुबह तक जे.सी. रिमांड पर लिया जा सकता है ताकि वे अपने अधिवक्ताओं की सेवाएँ ले सकें।

> “मैंने अनुसंधान अधिकारी एस एस पी द्वारा मेरे सामने पेश की गई फाइल को देखा है, जिसमें दोनों आरोपियों की 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मेरे सामने दिए गए सभी बयानों पर विचार करने के बाद, उन्हें 26/8/2003 को दोपहर 2 बजे न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर लिया

गया है। दोनों आरोपियों को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए है।"

उक्त विनोद कुमार गर्ग के साथ-साथ उनके भाई नरसी दास गर्ग और उनके प्रबंधक मुदित कुमार तिवारी के खिलाफ भी हिरासत के आदेश पारित किए गए थे। हालाँकि, जब मामला COFEPOSA अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के संदर्भ में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया, तो बोर्ड ने विनोद कुमार गर्ग और नरसी दास गर्ग की हिरासत के आदेश को मंजूरी दे दी, लेकिन मुदित कुमार तिवारी की हिरासत को मंजूरी नहीं दी गई।

हिरासत के उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता और उपरोक्त नरसी दास गर्ग ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर कीं। आक्षेपित आदेश के आधार पर दोनों याचिकाएँ ख़ारिज कर दी गईं। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने इस अपील के समर्थन में कई तर्क उठाए थे। विद्वान वकील सबसे पहले यह प्रस्तुत किया कि हिरासत में लिए जाने पर प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2004 में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट होगा कि निर्यातक का माल मिश्र धातु इस्पात से बना था और उस दृष्टिकोण से इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए उसके कथित स्व-दोषी बयान के आधार पर ही हिरासत के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्व-दोषी बयान वापस ले लिया गया है, यह हिरासत का आदेश जारी करने का आधार नहीं हो सकता है।

श्री सुब्रमण्यम का तर्क है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति और उसके भाई नरसी दास गर्ग दोनों के संबंध में हिरासत के आधार एक-दूसरे की शब्दशः नकल हैं, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से मस्तिष्क का गैर-प्रयोग है। प्रकट। किसी भी घटना में, चूंकि ड्यूटी ड्रॉबैक नकद प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज और विशेष रूप से न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा बनने वाले बंदी के जवाब को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया था, इसलिए हिरासत का विवादित आदेश कानून में उल्लंघन है।

मुदित कुमार तिवारी को भी बंदी और उसके भाई के साथ साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया था, श्री सुब्रमण्यम का तर्क है कि हिरासत प्राधिकरण ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ पारित हिरासत के आदेश को रद्द क्यों नहीं किया।

यह भी तर्क दिया गया कि भविष्य में बंदी के हाथों कोई कथित अवैध गतिविधि संभव नहीं है क्योंकि उसने पहले ही अधिकारियों के समक्ष अपने 'निर्यात आयात कोड' को आत्मसमर्पण कर दिया था और खुदको निर्यात आयात व्यापार करने से असक्षम कर दिया था।

हालाँकि, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टीएस दोआबिया ने हिरासत के आदेश का समर्थन किया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम श्री सुब्रमण्यम के पहले तर्क में बल पाते हैं, हमारे लिए विद्वान वकील द्वारा आगे बढ़ाए गए अन्य प्रस्तुतियों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं हो सकता है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिरासत के आधार पर बंदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से एक यह था कि उसने गलत घोषणा पर खेप का निर्यात किया था, इसका आशय है कि मिश्रधातु इस्पात फोर्जिंग (मशीनीकृत) का निर्यात किया जा रहा था, जबकि वास्तव में वह धातु स्क्रैप था।

हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राजस्व खुफिया निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 20 अगस्त, 2004 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था; जिसका पद संख्या 48 इस प्रकार है:

> "48. M/s नेशनल स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी की जब्त निर्यात खेप से लिए गए दो नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए सी आर सी एल, नई दिल्ली भेजे गए थे। केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट संख्या 35-के म/सीयूएस/ 2002/सीएल/197 के तहत -198 डी आर आई दिनांक 23.10.2003 ने सूचित किया कि नमूने मिश्र धातु इस्पात से बने थे। हालांकि, परीक्षण रिपोर्ट इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकी कि क्या माल फोर्जिंग (मशीनीकृत) था, जैसा कि निर्यात के द्वारा घोषित किया गया था।"

उक्त नोटिस में, बंदी को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर कारण बताने के लिए कहा गया था:

> "58(1) M/s नेशनल स्टील प्रोडक्ट्स कंपनी, नई दिल्ली ने जान बूझकर एफ ओ बी मूल्य 7,60,88,864 रुपये बताकर/गलत घोषणा

करके माल का निर्यात किया (जिसका विवरण इसके साथ संलग्न अनुबंध-ए में दिया गया है, कारण बताओ नोटिस) और 1,70,01,015 रुपये के अनुचित डी ई पी बी क्रेडिट का धोखाधड़ी से दावा/लाभ उठाकर सरकार को धोखा देने के गलत इरादे से वास्तविक मूल्य को छिपाकर, मूल्य में गलत घोषणा ने निर्यातित वस्तुओं को उत्तरदायी बना दिया है। इसलिए सीमा शुल्क की धारा 113(डी) और 113(आई) के तहत जब्त करना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 50 (1) के साथ पठित अधिनियम, 1962 भी विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 11 और 14 के अनुसार उक्त नोटिस में उपरोक्त उल्लिखित कथनों को देखने से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि सामग्रियों के रासायनिक विश्लेषण पर, यह पाया गया कि नमूने मिश्रधातु इस्पात से बने थे। हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कथित माल जो निर्यात का विषय है, बंदी की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था और सी आर सी एल के समक्ष रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। दिनांक 23.10.2003 की एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर, ऐसा प्रतीत होता है, कि नमूने मिश्रधातु इस्पात से बने थे, हालांकि परीक्षण रिपोर्ट इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकी कि क्या माल मिश्रधातु इस्पात फोर्जिंग (मशीनीकृत) था, जैसा कि निर्यात के द्वारा घोषित किया गया था। इसलिए, खेप का विषय स्क्रैप धातु नहीं था। यदि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत का आदेश जारी करने से पहले उक्त रासायनिक विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा की होती, तो उसमें बताए गए पहले आधार को आधार नहीं बनाया जा सकता था।"

इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, हिरासत का आदेश पर्याप्त सामग्री के बिना जल्दबाजी में पारित किया गया था।

हालाँकि, श्री दोआबिया ने तर्क दिया कि माल के चालान के संबंध में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ आरोप न्याय निर्णयन कार्यवाही का विषय है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब हिरासत के आधारों में से एक अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया जाता है जो हिरासत के आदेश को पारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हिरासत का पूरा आदेश कानून के तहत दोषपूर्ण माना जाएगा।

उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय है कि हिरासत के विवादित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें तदनुसार रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शैल कुमारी सोलंकी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।